न्यायालय सं0–2

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– मा0 श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका संख्या–1992 / 2021

उप निरीक्षक (ना0पु0) राम बहादुर, आयु लगभग 49 वर्ष, पुत्र श्री सनी राम, निवासी–रामपुर हुसैना, थाना ज़फरगंज, जनपद फतेहपुर।

.....याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन, कानपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद कन्नौज।

..... विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
श्री एस0के0 पाठक, अधिवक्ता.....(याची)
विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.....(विपक्षीगण)

निर्णय

द्वारा माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

याची द्वारा यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत परिनिन्दा संबधी दण्डादेश दिनांकित 05.04.2020 (संलग्नक–1), अपीलीय आदेश दिनांकित 28.09.2020 (संलग्नक–2) एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 07.05.2021 (संलग्नक–3) को अपास्त कर समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्रदान किये जाने के अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनाँक 01.04.1992 को आरक्षी ना0पु0 के पद पर गृह विभाग में हुई थी। याची वर्तमान समय में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है। याची जब वर्ष 2018 में पुलिस स्टेशन सौरिख जनपद कन्नौज में नियुक्त था तो उसे विपक्षी सं0 4 द्वारा दिनांक 12.07.2019 को इस आशय की कारण बताओ नोटिस जारी हुई कि :–

''वर्ष 2018 में थाना सौरिख जनपद कन्नौज में नियुक्ति के दौरान, दिनाँक 23.09.2018 को थाना सौरिख पर वादी श्री अनिल सिंह द्वारा

मु0अ0सं0–363/2018 धारा 279,337,338 एवं 304–ए भादवि पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना आप द्वारा दिनाँक 24.09.2018 को ग्रहण कर दिनाँक 23.10.2018 तक सम्पादित की गयी, अभियोग में नामित वाहन संख्या यूपी–74 आर–1772 के सम्बन्ध में आर0टी0ओ0 आफिस से बिना जानकारी किये तथा घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों से बगैर पूछतॉछ/जानकारी किये मात्र शपथपत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित वाहन संख्या से भिन्न वाहन संख्या यूपी–74बी–5311 व चालक चालक औसान सिंह को प्रकाश में लाकर कार्यवाही की गयी है, जो अभियोग की विवेचना के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। आपका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। जिसकी घोर निन्दा की जाती है।''

याची द्वारा उक्त नोटिस का विस्तृत उत्तर दिनाँक 06.08.2019 को आरोप से इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया। याची का कथन है कि उसके द्वारा दिए गये उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार किए बिना उसके विरूद्ध परिनिन्दा संबधी दण्डादेश दिनाँक 05.04.2020 को पारित कर दिया गया। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने बिना विचार किये अपने आदेश दिनाँक 07.05.2021 द्वारा निरस्त कर दिया। तत्पश्चात याची द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 2 के समक्ष पुनरीक्षण याचिका योजित की गई जिसे पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा गुणदोष पर विचार किये बिना अपने आदेश दिनांक 07.05.2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तदनुसार याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर याचिका स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

3. याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश को अपास्त कर याचिका को स्वीकार किये जाने हेतु निम्न विधिक आधार प्रस्तुत किये गये हैंः–

1. याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश पूरी तरह अवैध एवं मनमाना है।
2. जांच अधिकारी द्वारा याची के बयान पर विचार किये बिना उसे जांच आख्या में दोषी पाया गया है।
3. याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किये बिना दण्डादेश पारित किया गया है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज कुमार मेहरोत्रा के मामले में यह निर्णय दिया है कि आदेश सकारण एवं मुखरित होना चाहिए लेकिन याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश अस्पष्ट एवं कारण रहित है।
5. विपक्षीगण ने याची को अवैध एवं मनमाने तरीके से सजा दी है जो विधिक दृष्टि से मान्य नहीं है।

4. प्रतिपक्षीगण की तरफ से लिखित कथन/प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि याची ने परिनिन्दा सम्बन्धी दण्डादेश दिनाँकित 05.04.2020, अपील निरस्तीकरण आदेश दिनाँकित 28.09.2020 तथा रिवीजन निरस्तीकरण आदेश दिनाँकित 07.05.2021 को निराधार एवं आधार हीन तथ्यों पर चुनौती दी है। याची वर्ष 2018 में थाना सौरिख जनपद कन्नौज में नियुक्त था, तब दिनाँक 23.09.2018 को थाना सौरिख पर वादी श्री अनिल सिंह द्वारा मु0अ0सं0–363/2018 धारा 279/337/338 एवं 304–ए भादवि पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना इनके द्वारा दिनाँक 24.09.2018 को ग्रहण कर दिनाँक 23.10.2018 तक सम्पादित की गयी, अभियोग में नामित वाहन संख्या यूपी–74 आर–1772 के सम्बन्ध में आर0टी0ओ0 आफिस से बिना जानकारी किये तथा घटना स्थल पर मौजूद साथियों से गैर पूँछताँछ/जानकारी किये मात्र शपथ–पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित वाहन सं0 से भिन्न वाहन सं0– यूपी–74, बी–5311 व चालक औसान सिंह को प्रकाश में लाकर कार्यवाही की गयी, जो अभियोग की विवेचना के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उसे दोषी पाया गया है। याची द्वारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनाँक 06.08.2019 प्रस्तुत किया गया। याची के स्पष्टीकरण में वर्णित सभी बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त याची को पूर्णतया दोषी पाये जाने पर उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि से दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लघंन नही हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त याची की अपील एवं रिवीजन को पूर्णतया तथ्यहीन एवं बलहीन पाये जाने पर विस्तृत कारण अंकित करते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा सकारण आदेशों के माध्यम से अपील एवं रिवीजन निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। याची विवादित आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का विधिक अधिकारी नहीं है। याची ने प्रश्नगत याचिका आधार हीन तथ्यों पर प्रस्तुत की है, जो मानने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की याचिका तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रत्योत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा लिखित कथन में किये गये कथनों का खण्डन किया गया है।

6. मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिवत् अवलोकन/परिशीलन किया गया।

7. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड पारित करते समय याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार नहीं किया गया तथा उसके विरूद्ध अमुखरित एवं कारण रहित दण्डादेश पारित किया गया है। याची द्वारा यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा याची के बयान पर कोई विचार न करते हुए उसे दोषी पाया गया है। उसने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लिखित किया था कि मु0अ0सं0 363/2018 धारा 279/337/338/304ए भादवि की विवेचना याची द्वारा दिनांक 24.09.2018 से 23.10.2018 तक संपादित की गई जिसमें उसने कुल 7 सी0डी0 किता की हैं। इस प्रकार याची द्वारा अपने शासकीय कार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई है लेकिन दण्डाधिकारी ने उसके स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया जो उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

8. विपक्षीगण की ओर से विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याची को बचाव का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप सकारण एवं मुखरित रूप से उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–14(2) के अनुसार दण्डादेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार है जिसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। याची को कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गई है, ऐसी स्थिति में याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

9. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि याची को दिनांक 12.07.2019 को पुलिस अधीक्षक कन्नौज द्वारा कारण बताओ नोटिस (संलग्नक–5) निर्गत की गयी है। इसके उपरान्त याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि "याची थाना सौरिख जनपद कन्नौज में दिनांक 16.01.2018 से नियुक्त है। वादी श्री अनिल सिंह द्वारा दिनांक 13.07.2018 को थाना सौरिख पर मु0अ0सं0 363/2018 धारा 279/337/338

/304ए बनाम अज्ञात मोटर साइकिल चालक नं0 यू0पी0 74 आर 1772 के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना याची को सौपी गई थी। याची द्वारा उक्त अभियोग में सीडी–1 दिनांक 13.07.2018, सीडी–2 दिनांक 09.08.2018, सीडी–3 दिनांक 24.09.2018, सीडी–4 दिनांक 02.10.2018, सीडी–5 दिनांक 21.10.2018, सीडी–6 दिनांक 22.10.2018 तथा सीडी–7 दिनांक 23.10.2018 को किता की गई। सीडी–7 के संबध में शिवेन्द्र पुत्र श्री राम भजन निवासी वीरपुर थाना सौरिख कन्नौज द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया कि मैंने अपनी मोटर साइकिल नं0 यू0पी0 74 बी 5311 को औसान सिंह पुत्र श्री काली चरन निवासी ईजलपुर थाना सौरिख को दी थी जिसने घटना की है। चूंकि वाहन चालक के स्वामी श्री शिवेन्द्र पुत्र श्री राम भजन द्वारा स्वयं इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था और उसमें अंकित किया गया था कि उसने अपनी मोटर साइकिल श्री औसान सिंह को दी थी जिससे उक्त घटना घटित हुई। शपथपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अतः शपथपत्र मिलने की दशा में आर0टी0ओ0 आफिस से गाड़ी का पता लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार याची द्वारा अभियोग की विवेचना में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त तथ्य को विचार में नहीं लिया गया है तथा परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

10. याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 05.04.2020 (संलग्नक–1) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दण्डादेश में याची के स्पष्टीकरण की विवेचना की गयी है। उपरोक्त आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए तथा उस पर सम्यक् विचारोपरान्त दण्डाधिकारी ने अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। चूँकि दण्डाधिकारी द्वारा अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है और याची के स्पष्टीकरण की विधिवत विवेचना की गई है, ऐसी स्थिति में याची का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसके स्पष्टीकरण की दण्डाधिकारी ने कोई विवेचना नहीं की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दण्डादेश को अमुखरित आदेश नहीं कहा जा सकता है।

11. याची को निर्गत कारण बताओ नोटिस का अवलोकन किया गया। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि **प्रश्नगत प्रकरण में संपादित की गयी प्रारम्भिक जांच की छायाप्रति संलग्न है।** उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि याची को कारण बताओ नोटिस के साथ जांच आख्या की प्रति प्रदान की गयी है जिसे याची द्वारा प्राप्त करके संलग्नक–4 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त याची को

पत्रावली का अवलोकन करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है। अतः याची को अपने बचाव का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है।

12. प्रश्नगत प्रकरण की जांच श्री विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा संपादित की गयी है जिसमें उन्होंने याची तथा अन्य कई साक्षीगण के बयान अंकित किये हैं। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जाचं आख्या के अन्त में निम्न निष्कर्ष दिया गया हैः–

"सम्पूर्ण जांच से पाया गया कि थाना सौरिख कन्नौज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/2018 धारा 279/337/338/304ए भादवि की विवेचना में विवेचक उ0नि0 राम बहादुर द्वारा अभियोग पंजीकरण के दिनांक 13.07.2018 से दिनांक 23.10.2018 तक नामित मो0सा0 नं0 यूपी 74 आर–1772 के संबध में आर0टी0ओ0 आफिस से कोई जानकारी नहीं की गई है। वादी श्री अनिल सिंह के अतिरिक्त अन्य गवाहों से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित मो0सा0 नं0 यू0पी0 74 आर–1772 के संबध में घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों (बारातियों) से कोई पूछताछ/जानकारी नहीं की गयी है। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न मो0सा0 यूपी–74 बी–5311 को तथा चालक औसान सिंह को शपथपत्र के आधार पर प्रकाश में लाकर प्र0सू0रि0 में नामित मो0सा0 नं0 यूपी 74 आर–1772 की नामजदगी गलत की गयी है, जो विवेचक उ0नि0 राम बहादुर थाना सौरिख कन्नौज की विवेचना के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जिसके लिए यह दोषी हैं। उल्लेखनीय है कि विवेचक उ0नि0 राम बहादुर सिंह थाना सौरिख द्वारा निम्न स्तर की विवेचना संपादित करके नामित मोटरसाइकिल यूपी–74 आर–1772 की नामजदगी गलत की गयी है। अभियोग दैनिकियो के परिशीलन से विवेचनात्मक कार्यवाही में निम्न कमियां पाई गयी हैंः–

1. वादी श्री अनिल सिंह के अतिरिक्त घटना के समय मौजूद अन्य साक्षियों (बारातियों) से मो0सा0 नं0 यूपी–74 आर–1774 के संबध में पूंछताछ/जानकारी नहीं की गयी है। अभियोजन हित के दृष्टिगत कथन अंकित किया जाना आवश्यक है।

2. नामित मा0सा0 यूपी–74 आर–1772 का अभियोजन हित के दृष्टिगत आर0टी0ओ0 आफिस से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है।"

इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा याची तथा अन्य साक्षीगणों के बयान के आधार पर विस्तृत विवेचना करते हुए अपना निष्कर्ष दिया गया है जिसके आधार पर याची को दोषी पाया गया है। अतः उक्त जांच में कोई त्रुटि नहीं है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि याची द्वारा मु0अ0सं0 363/18 धारा 279/337/338/304ए भादवि की विवेचना मात्र औपचारिक

रूप से की गयी है तथा घटना में नामित मोटरसाइकिल के संबध में आर0टी0ओ0 आफिस से कोई जानकारी नहीं की गयी है। इसके साथ ही घटना में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल सं0 यूपी–74 आर 1772 की नामजदगी भी जानबूझकर गलत की गयी है। याची द्वारा घटना के समय मौजूद अन्य साक्षियों (बारातियों) से भी कोई पूछताछ नहीं की गयी जो अत्यन्त आवश्यक था। इसके अतिरिक्त याची द्वारा घटना में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल के मालिक द्वारा दिये गये शपथपत्र के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल की जानकारी आर0टी0ओ0 आफिस से नहीं की गयी है। इस तथ्य को याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार भी किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही याची को नियमानुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए संपादित की गयी है तथा याची द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त याची के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर दण्डादेश पारित किया गया है। याची कोई ठोस एवं उचित आधार अपने बचाव हेतु प्रस्तुत नहीं कर सका है जबकि याची के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। दण्डाधिकारी द्वारा पारित किये गये दण्डादेश में याची द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण की विस्तृत विवेचना करते हुए दण्डादेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

14. अपीलीय आदेश दिनांक 28.09.2020 (संलग्नक–2) एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांक 07.05.2021 (संलग्नक–3) के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा याची की अपील एवं पुनरीक्षण याचिका में वर्णित समस्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त अपीलीय एवं पुनरीक्षण आदेश पारित किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 20 अगस्त 2026

(सौ0सि0)